न्यायालय जिला कलक्टर, बारां (राजस्थान)

पीठासीन अधिकारी– श्री नरेन्द्र गुप्ता (आई0ए0एस0)

प्रकरण संख्या– 01 / 2020

बउनवान

मनोज पुत्र श्री देवीदत्त गाड़िया, जाति महाजन निवासी बारां तहसील व जिला बारां (राज0)

(अपीलांट)

बनाम

राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार,बारां **(रेस्पोंडेंट)**

अपील धारा–75 भू राजस्व अधिनियम,1956

उपस्थिति :– 1. श्री नरेन्द्र कुमार सोमानी, अभिभाषक **(अपीलांट)**

2. पेरोकार सरकार **(रेस्पोंडेंट)**

निर्णय दिनांक– 01.08.2022

अपीलांट ने जर्ये अभिभाषक अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, बारां के आदेश दिनांक 26.03.2019 से अप्रसन्न होकर अपील, धारा–75 भू राजस्व अधिनियम,1956 के तहत इस आशय की प्रस्तुत की है कि अधीनस्थ न्यायालय ने उसे ग्राम– मण्डोला, तहसील–बारां की खातेदारी की आराजी खसरा नम्बर 693, 692 रकबा 0.31 हैक्टर किस्म– चाही पर गैर कृषि प्रयोजन हेतु बिना रूपान्तरण कराये ईट भट्टा लगाने के कारण सम्वत् 2070 में अतिक्रमी मानकर, उक्त आराजी से बेदखल कर, 23,250 /–रूपये शास्ती व 18,600 /– निलामी राशि कुल 41,850 /– से दण्डित किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय खिलाफ कानून एंव पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों एवं तथ्यों के विपरीत होने से निरस्त किये जाने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त निर्णय पारित करते समय न तो वैधानिक रूप से कोई नोटिस दिया गया है और ना ही नोटिस की तामील हुई है, एवं सुनवाई का अवसर दिये बिना ही तहसीलदार बारां द्वारा निर्णय पारित किया गया है। विवादित भूमि खातेदारी की भूमि है, तथा खातेदार लियाकत हुसैन पुत्र अब्दुल रजाक के खाते में दर्ज है, राजस्थान सरकार के सरकुलर अनुसार 4000 वर्गगज तक की भूमि को गैर कृषि प्रयोजन हेतु ईंट भट्टा लगाने हेतु रूपान्तरित कराने की आवश्यकता नहीं है। परन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त सरकुलर की अवहेलना करते हुए, मूल खातेदार लियाकत हुसैन पुत्र अब्दुल रजाक को सुनवाई का अवसर दिये बिना निर्णय पारित किया है जो निरस्त किये जाने योग्य है। ईट भट्टो के संबंध में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पूर्व में सभी प्रकरणों में [illegible] गई थी, तथा बिना किसी उचित आधार के 20 गुना शास्ती लगाई गई है, जो [illegible] है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का [illegible] 2019 निरस्त फरमाया जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Narendra Gupta
Date: 2022.09.15 11:14:29 IST
Reason: SelfAttested

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर [illegible] को जर्ये सम्मन तलब किया तथा अधीनस्थ न्यायालय का मूल अभिलेख तलब किया गया। [illegible] बार लिखे जाने के उपरान्त भी अधीनस्थ न्यायालय का रेकार्ड प्राप्त नही होने पर अभिभाषक अपीलांट ने बहस सुनकर प्रकरण का

जिला कलक्टर
बारां (राज0)

निस्तारण करने हेतु निवेदन किया । अभिभाषक अपीलांट के निवेदन पर विद्वान अभिभाषक अपीलांट व पेरोकार सरकार की बहस सुनी गयी।

बहस के दौरान विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त निर्णय पारित करते समय न तो वैधानिक रूप से खातेदार को कोई नोटिस दिया गया है आरै ना ही नोटिस की तामील हुई है, एवं भूमि के खातेदार को सुनवाई का अवसर दिये बिना ही तहसीलदार बारां द्वारा निर्णय पारित किया गया है। विवादित भूमि खातेदारी की भूमि है, राजस्थान सरकार के सरकुलर अनुसार 4000 वर्गगज तक की भूमि को गैर कृषि प्रयोजन ईंट भट्‌टा लगाने हेतु रूपान्तरित कराने की आवश्यकता नहीं है। परन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त सरकुलर की अवहेलना करते हुए, खातेदार को सुनवाई का अवसर दिये बिना निर्णय पारित किया है जो निरस्त किये जाने योग्य है। न्यायहित में अपीलांट की अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 26.03.2019 निरस्त फरमाया जावे।

इसके विपरीत पेरोकार सरकार ने अपीलांट के कथन का खण्डन करते हुये निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट/अतिक्रमी को विधिवत नोटिस जारी कर, सुनवाई व जवाबदेहीं का समुचित अवसर प्रदान किया गया है। अपीलांट ने खाते की भूमि पर बिना भूमि रूपान्तरण कराये ईट भट्‌टा लगाकर अतिक्रमण किया है। अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय में कोई विधिक त्रुटि नहीं है। अतः अपील खारिज फरमायी जावे।

हमने विद्वान अभिभाषक अपीलांट व पेरोकार सरकार की बहस सुनी तथा पत्रावली पर उपलब्ध रेकार्ड का आद्योपांत अवलोकन किया। सर्वप्रथम मियाद के बिन्दु पर विचारण किया गया। न्याय हित में प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम स्वीकार किया जाकर अपील प्रस्तुत करने में हुई देरी को क्षमा किया जाता है।

बहस के दौरान अभिभाषक अपीलांट का मुख्य तर्क रहा है कि विवादित भूमि खातेदारी की भूमि है, तथा खातेदार लियाकत हुसैन पुत्र अब्दुल रजाक के खाते में दर्ज है, तथा अधीनस्थ न्यायालय ने खातेदार की सुनवाई किये बिना उक्त निर्णय पारित किया गया है। पत्रावली के अवलोकन से पाया जाता है कि अधीनस्थ न्यायालय ने खातेदार लियाकत हुसैन पुत्र अब्दुल रजाक को विधिवत नोटिस जारी नहीं किया है जिससे खातेदार को सुनवाई व जवाबदेहीं का अवसर प्राप्त नहीं हुआ है।

अतः ऐसी स्थिति में हम अपील अपीलांट स्वीकार किये जाने योग्य पाई जाती है।

परिणामस्वरूप, अपीलांट की अपील आंशिक स्वीकार की जाकर, अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, बारां द्वारा प्रकरण संख्या 89/2019 में पारित आदेश दिनांक 26.03.2019 निरस्त किया जाकर प्रकरण इस निर्देश के साथ तहसीलदार बारां को प्रतिप्रेषित किया जाता है कि खातेदार को वैधानिक रूप से सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए, प्रकरण में नियमानुसार नये सिरे से निर्णित पारित करे।

निर्णय आज दिनांक 01.08.2022 को लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Narendra Gupta
Date: 2022.09.15 11:14:29 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलेक्टर न्यायालय बारां (राज०)

(नरेन्द्र गुप्ता)
जिला कलक्टर बारां
जिला कलक्टर बारां (राज०)